चाकघाट सीएमओ के ऑडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

जांच के बाद कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने किया निलंबित

नवभारत न्यूज

रीवा, 15 सितम्बर, जिले के चाकघाट नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच हुई बातचीत का एक बेहद आपत्तिजनक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ.

इसके बाद कलेक्टर ने गंभीरता से पूरे मामले की जांच कराई और निलंबन का प्रस्ताव रीवा कमिश्नर के पास भेजा. जहा से कमिश्नर ने सीएमओ को निलंबित कर दिया. वायरल हुए इस कथित ऑडियो में चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ शंखधर पाण्डेय एक महिला कर्मचारी को अपने कमरे पर दो घंटे बिताने के लिए दबाव बनाते हुए सुनाई दे रहे हैं. ऑडियो में अधिकारी द्वारा महिला से यह भी कहते सुना जा रहा है कि 'कमरे में दो घंटे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. इस आपत्तिजनक मांग को मानने से इनकार करने पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी से हटाने जैसी मानसिक प्रताड़ना की बात भी सामने आई है.

फिलहाल ऑडियो लीक होने के बाद पूरे जिले के प्रशासनिक और राजनैतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.

हलाकि ऑडियो के सोशल मीडिया पर आते ही रीवा कलेक्टर ने बिना किसी देरी के मामले को स्वत: संज्ञान में लिया. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम द्वारा इस पूरे मामले की त्वरित जांच कराई गई. जांच अधिकारियों ने ऑडियो की बारीकी से पड़ताल की, जिसमें प्रथम दृष्टया उक्त आवाज चाकघाट नगर परिषद के सीएमओ की ही पाई गई है.

महिला सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं :सूर्यवंशी

कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया की मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला कर्मचारी की औपचारिक शिकायत आने से पहले ही हमने जांच के निर्देश जारी कर दिए थे. हालांकि, बाद में पीड़ित महिला कर्मचारी ने भी उपस्थित होकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है. कलेक्टर ने बताया की एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन के लिए प्रस्ताव कमिशनर कार्यालय को भेज दिया गया है. कलेक्टर ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है. उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. बेटियों, महिलाओं और विशेषकर महिला कर्मचारियों का सम्मान बनाए रखना प्रशासन का पहला दायित्व है, और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

कमिश्नर ने किया निलंबित

रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंखधर पांडेय को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. निलंबन अवधि में श्री पांडेय का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन कार्यालय रीवा रहेगा. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार प्रभारी सीएमओ श्री पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो की कलेक्टर रीवा नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जांच कराई गई. जांच में श्री पांडे को कार्यालय की महिला कर्मचारी के साथ फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय वार्तालाप के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. कलेक्टर के प्रतिवेदन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है.

चौबीस घंटे बाद मिला बालिका का शव

एसडीआरएफ की टीम ने गोपद नदी से किया शव को बरामद

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। हर्रा गांव के गोपद नदी में बीते दिन सोमवार को नहाने गई एक 11 वर्षीय बालिका डूब गई थी। जहां आज दूसरे दिन मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने गोपद नदी से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराने पुलिस को सौप दिया।

ज्ञात हो कि ग्राम हर्रा निवासी रामलाल सिंह की 11 वर्षीय पुत्री बीते दिन सोमवार को घर से गाय चराने निकली थी और इसी दौरान वह गोपद नदी में नहाने चली गई। काफी देर तक सुशीला के घर वापस न आने पर परिजन तलाश शुरू कर दिये। इसी दौरान कुछ सुराग मिले की वह नदी में नहा रही थी। परिजन आशंका जताने लगे और कुंदवार पुलिस चौकी को सूचना कर तलाश में लग गये। इधर जियावन पुलिस के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, कल पूरे दिन सर्च अभियान जारी रहा और आज दिन मंगलवार को दोपहर बाद गोपद नदी में शव बरामद हुआ। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

खाल तस्करी कांड: तीनों आरोपियों की जमानत खारिज

एडीजे कोर्ट सीधी ने सुनवाई के पश्चात जमानत याचिका किया निरस्त

नवभारत न्यूज

सीधी, 15 सितम्बर. जिला न्यायालय सीधी के एडीजे कोर्ट ने आज सुनवाई के पश्चात तेंदुआ खाल तस्करी कांड से सम्बद्ध तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब तीनों आरोपी जिला जेल में ही रहेंगे।

बता दें कि 5 सितम्बर 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय इकाई भोपाल द्वारा सीधी शहर में कार्रवाई करते हुये थार वाहन में तेंदुए की खाल के साथ दो व्यक्तियों को पकड़ा गया था। पूंछतांछ के दौरान आरोपितों ने खाल से जुड़े शिकार के संबंध में ग्राम धनुहीनार, पोस्ट बीरादेही, तहसील हनुमना, जिला-मऊगंज का उल्लेख किया। लिहाजा हनुमना परिक्षेत्र की वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में दबिश देकर तीसरे आरोपित लल्ला बैगा को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से कथित शिकार में इस्तेमाल किये जाने वाले औजार में खूंटी, तार और चाकू बरामद किये गये। मामले में गिरफ्तार अनमोल सिंह चंदेल निवासी बीरादेही, अभिषेक उर्फ प्रिंस सिंह चंदेल निवासी दुधमनिया और लल्ला बैगा निवासी जड़ुड़ को 6 सितम्बर 2026 को जिला न्यायालय सीधी में पेश किया गया। न्यायालय से तीनों आरोपियों को 2 दिन रिमांड पर हिरासत में लिया गया। रिमांड समाप्त होने के पश्चात वन विभाग की जांच टीम ने आरोपियों को जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया था।

इनका कहना है

एडीजे कोर्ट सीधी द्वारा आज सुनवाई के पश्चात तेंदुआ खाल से सम्बद्ध तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले में चालान प्रस्तुत करने के लिये विभाग के पास 60 दिन का समय है। उक्त समय में मामले की जांच तेजी से चल रही है। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

संदीप गौतम, एसडीओ वन मंडल सीधी

पासपोर्ट के शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर प्रकरण दर्ज

सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

रीवा, 15 सितम्बर, पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है, अन्यथा यह जेल की हवा खिला सकता है.

ऐसा ही एक गंभीर मामला रीवा शहर से सामने आया है, जहां पासपोर्ट आवेदन के साथ जमा किए शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने पर पुलिस ने एक आवेदक के खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की है. दरअसल यह पूरा मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने का है. थाना प्रभारी निशा मिश्रा के मुताबिक रीवा शहर के पाण्डेन टोला निवासी भगवानदास लालवानी ने पासपोर्ट बनवाने के लिए 16 जुलाई को पासपोर्ट कार्यालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था. नियमानुसार, पासपोर्ट आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज और एक शपथ पत्र भी संलग्न किया गया था. इस शपथ पत्र में आवेदक भगवानदास ने लिखित रूप से यह दावा किया था कि उसके खिलाफ किसी भी थाने या न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और उसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है. इधर पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आवेदन की शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक के चरित्र और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए फाइल संबंधित क्षेत्र के सिटी कोतवाली थाने भेजी गई तो जांच में पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत है.पहले से आपराधिक मामला दर्ज है जिसे छिपाया गया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है.

लायजनिंग आफीसर तैनात

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरूण पाण्डेय को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है. पंचायत उप चुनाव की घोषणा के अनुसार निर्वाचन कार्य का प्रथम चरण 14 सितम्बर से 18 सितम्बर तक तथा दूसरा चरण 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक चलेगा. इस अवधि में प्रेक्षक श्री पाण्डेय को सहयोग देने के लिए लाइजनिंग आफीसर के रूप में सहायक प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अंशुल करोड़िया को तैनात किया गया है. कार्यालयीन कार्य के लिए सहायक ग्रेड तीन अजय सूर्यवंशी को तैनात किया गया है.

फांसी पर मिला युवक का शव, हत्या का आरोप

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। चितरंगी थाना क्षेत्र के झोंखो गांव में 24 वर्षीय राम लखन यादव की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

मृतक के पिता रामअवतार यादव ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या करने के बाद शव को फांसी पर लटकाया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि राम लखन 5 सितंबर की सुबह करीब 10:11 बजे घर से पश्चिम दिशा की ओर घूमने निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन 6 सितंबर की शाम करीब 4 बजे घर से लगभग 100 मीटर दूर उसका शव फांसी पर लटका मिला।

पिता के मुताबिक शव मिलने के दौरान उसका मोबाइल फोन बज रहा था। रामअवतार ने आरोप लगाया कि बेटे के साथ पहले मारपीट की गई और उसे करंट लगाया गया। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान, पैर मुड़े होने तथा फांसी लगाने वाले स्थान की ऊंचाई करीब 5.4 फीट होने का उल्लेख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी गहनता से जांच कराने की मांग की है। पिता ने मृतक के मोबाइल की पूरी कॉल डिटेल निकलवाने, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने तथा गाली-गलौज व जान से मारने की कथित धमकी वाली रिकॉर्डिंग की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता अशोक पैगाम ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी सियाज केएम ने शिकायत में बताए तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है।

पटवारी संघ ने अपनी मांगों का सौंपा एडीएम को ज्ञापन

नवभारत न्यूज

रीवा, 15 सितम्बर,मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन रीवा जिले में भी सौंपा गया. इस दौरान रीवा जिले की समस्त तहसीलों से आए पटवारी कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और अपर कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत किया.

पटवारियों ने शासन की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना, फार्मर रजिस्ट्री और जियो टैग गिरदावरी के कार्यों को पटवारियों से कराए जाने का पूर्णत: विरोध दर्ज कराया है. ज्ञापन में बताया गया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना मूलत: ग्राम आबादी की भूमि से संबंधित है जिसका संपूर्ण प्रबंधन और विकास का अधिकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है. इस भूमि के पूर्व में हुए ड्रोन सर्वे और स्वामित्व के अधिकार पत्रों का सत्यापन भी सरपंच,सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा ही किया गया था. ऐसे में इस योजना के अंतर्गत पंजीयन, ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे व्यक्तिगत दायित्व वाले कार्यों के लिए पटवारी को निष्पादक बनाया जाना न्यायोचित नहीं है. संघ का कहना है कि पंजीयन विलेख में कई विधिक विसंगतियां हैं, जैसे पूर्व से भूमिस्वामी व्यक्ति को पुन: भूमिस्वामी हक दिया जाना और उनके मकान को अनाधिकृत संरचना बताया जाना, जिससे ग्रामीणों में भ्रम और विवाद की स्थिति निर्मित होगी.

जमीन विवाद में प्रौढ़ व्यक्ति ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

आरोपियों ने किया था बेरहमी से मारपीट

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। बरगवां थाना क्षेत्र के समीपी गांव कनई निवासी रामरेखा नामदेव उम्र 55 वर्ष को आरोपियों ने पिछले सप्ताह 9 सितंबर को बरगवां बाजार में लाठी-डंडे व धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गये थे।

आज रामरेखा का सिंगरौली हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बैढ़न में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उक्त घटना में शामिल तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब आरोपियों पर हत्या की धराएं बढ़ाई गई हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार 9 सितम्बर को रामरेखा नामदेव पिता स्व. सुदर्शन नामदेव उम्र 55 वर्ष एवं बसंतलाल नामदेव निवासी बड़ोखर-कनई को बरगवां बाजार में आद्याप्रसाद नामदेव, अंकित नामदेव एवं अमन नामदेव निवासी कनई ने बेरहमी से मारपीट किया था। जिसमें रामरेखा नामदेव को गंभीर चोटे आई थी, विवाद का मुख्य कारण जमीनी मामला था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 109 समेत अन्य अपराध पंजीबद्ध कर पिता-पुत्र आद्याप्रसाद एवं अंकित नामदेव को 13 सितम्बर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। वहीं एक अन्य आरोपी अमन फरार है। इधर घायल रामरेखा नामदेव का इलाज सिंगरौली हॉस्पिटल में चल रहा था कि आज सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध हत्या की धाराएं बढ़ा दी हैं। बरगवां थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल पटेल के अनुसार फरार एक अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। विवाद का कारण जमीन है और जमीन के फैसले को लेकर दोनों पक्ष में विवाद चल रहा था और इसी कारण से आरोपियों ने मारपीट की थी। वहीं मृतक की पत्नी जगवतिया बाई ने एसपी के यहां आवेदन देकर आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

पंजीयन संबंधी समस्त कार्यों से पृथक रखने पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सीधी, 15 सितम्बर. स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना के निष्पादन एवं पंजीयन संबंधी समस्त कार्यों मे पटवारी संवर्ग को पूर्णत: पृथक रखे जाने हेतु म.प्र. पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंहद्द बघेल की मौजूदगी एवं जिलाध्यक्ष सुनील कुमार पटेल के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर गोपदबनास तहसीलदार को

ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

पत्र मे उल्लेख है कि मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना का म. प्र पटवारी संघ सम्मान करता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है कि इस योजना से ग्रामीण अंचलो मे ऋष्रा संबंधी सहायता होगी किन्तु हमारा निवेदन है कि स्वामित्व योजना अथवा ग्रामीण नागरिकों को अधिकार अभिलेख के निष्पादन एवं पंजीयन प्रदान करने के उद्देश्य के विरुद्ध नही हैं बल्कि यह स्पष्ट मांग है कि इस योजना के निष्पादन ई केवाईसी, पंजीयन एवं उससे संबंधित व्यक्तिगत दायित्व वाले कार्यों से पटवारी संवर्ग को पूर्णत: पृथक रखा जाय। पत्र मे यह भी उल्लेख है कि पटवारी संवर्ग कि लंबित वेतन विसंगति, ग्रेड पे एवं कैडर रिव्यू सहित प्रमुख सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी निराकरण नही किया जाने तक पटवारी संवर्ग पर नई योजनाओं का और मूल सेवाओं के अतिरिक्त कार्यभार आरोपित न किया जाय ।

खुटार में दो दिन में दो चोरियां, कैमरे में कैद

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। खुटार चौकी क्षेत्र में लगातार दो रात हुई चोरी की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। अलग-अलग स्थानों पर हुई वारदातों में चोर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए।

घटनाओं के बाद अब पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार

चोरों ने पहले पप्पू सिंह की पान गुमटी को निशाना बनाया। गुमटी का सामान खंगालने के साथ नकदी और अन्य सामग्री चोरी कर ली गई। इसके बाद सत्यदेव मेडिकल स्टोर और उससे जुड़े घर में चोरी की वारदात हुई। यहां से करीब 13 हजार रुपये नकद, दवाइयां, मोबाइल चार्जर और अन्य सामान चोरी होने की जानकारी सामने आई है। मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीव्ही कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति रात के समय अंदर घुसकर सामान तलाशते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस के सामने संदिग्ध की पहचान और गिरफ्तारी की चुनौती है। लगातार हुई वारदातों से स्थानीय लोगों में चिंता है।

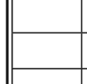

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड

(कौशल विकास संचालनालय म.प्र.)

क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/प्रवेश/2026/5074 **भोपाल, दिनांक : 15.09.2026**

म.प्र. की आईटीआई में प्रवेश 2026 हेतु

"पहले आओ पहले पाओ" राउण्ड में प्रवेश पुन: प्रारंभ

म.प्र. स्थित शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल **www.dsd.mp.gov.in** पर **"प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026"** पर जाकर रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये **www.dsd.mp.gov.in** पर देखें।

स. क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
1.	**"पहले आओ पहले पाओ"** राउण्ड के अंतर्गत संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	15.09.2026
2.	**"पहले आओ पहले पाओ" राउण्ड**	15.09.2026 से 22.09.2026
	● नवीन रजिस्ट्रेशन/च्वाइस फिलिंग/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल प्रारंभ।	
	● कैंडिडेट स्वेच्छा से किसी 01 आईटीआई के किसी 01 ट्रेड की च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे।	
	● समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को प्रवेश हेतु च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य है।	
	● च्वाइस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अत: कैंडिडेट को सावधानीपूर्वक आईटीआई/व्यवसाय का चयन करना चाहिए।	
	● च्वाइस फिलिंग करने के पूर्व आईटीआई में व्यवसायवार रिक्त सीटों की संख्या अवश्य जाँच कर लेवें।	
	● कैंडिडेट को प्रवेश के लिए रु. 50 का भुगतान कर च्वाइस लॉक करना होगा, तत्पश्चात अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर संबंधित आईटीआई में प्रवेश हेतु समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं 02 सेट फोटोकॉपी सहित पहुँचकर वेरिफिकेशन उसी दिवस करवाना होगा।	
	● वेरिफिकेशन के पश्चात प्रवेश फीस का भुगतान कर प्रवेश स्लिप प्रिंट कर आईटीआई में जमा करना होगा।	
	● यदि कैंडिडेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनका अलॉटमेंट संस्था द्वारा अगले कार्यालयीन दिवस में दोपहर 01 बजे के पश्चात निरस्त कर रिक्त सीट अनुसार अन्य आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा।	

आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नानुसार हैं :-

- आईटीआई में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।
- समस्त व्यवसायों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश शुल्क को दो किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की अधिक जानकारी के लिये नजदीकी शासकीय आईटीआई के हेल्पडेस्क पर अवश्य संपर्क करें। आईटीआई में प्रवेश फार्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
- आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त सीटों के किसी 01 आईटीआई के 01 व्यवसाय के लिये रु. 50/- भुगतान करके च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- **प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें - फोन नं. 9220407724, 9220407725, 9220407726, ई-मेल- mpitisupport@gmail.com**

म.प्र. माध्यम/128064/2026 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टोरेट में किया प्रदर्शन

सड़क बनाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सतना 15 सितंबर. कीचड़ से सनी कच्ची सड़क के कारण एक ओर जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वहीं बीमार व्यक्ति को चारपाई पर लादकर लाना पड़ता है. आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पक्की सड़क नहीं बनाई जा रही है. जिला कलेक्टोरेट पहुंचे स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप कर सड़क बनाए जाने की मांग की.

जिले की रामपुर बघेलान तहसील अंतर्गत करमऊ गांव की पाल बस्ती के लगभग दो दर्जन स्कूली बच्चों के साथ आधा सैकड़ा रहवासी मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट पहुंच गए. रामचंद्र पाल और दुर्गेश पाल के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंचे स्कूली बच्चों के हाथ में कागज की तख्तियां थीं. जिसके जरिए पक्की सड़क की मांग की जा रही है. परिसर की पार्किंग के निकट एकत्रित बच्चों ने बताया कि पाल बस्ती से मुख्य मार्ग रघुनाथ पुर मार्ग तक की दूरी तकरीबन 1 किमी है. लेकिन उक्त मार्ग पक्का नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है.

कीचड़ से सनी सड़क की वजह से पिछजे 3 महीने से बच्चों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. यदि कोई बीमार होता है तो उन्हें चारपाई पर लादकर लाना पड़ता है. यदि देरी के चलते समय पर उपचार नहीं मिला तो कभी कभी बीमार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है. इसी कड़ी में पक्की पड़की की मांग को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी भी दी कि मांगे पूरी न होने पर 23 सितंबर से चक्काजाम-शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे.

शिकायत वापस लेने का दबाव

स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महीने जनसुनवाई में समस्या बताए जाने पर सीईओ रामपुर बघेलान से निर्देश मिलने के बाद सरपंच-सचिव करमऊ और इंजीनियर द्वारा कुछ दूर तक रास्ता बनाया गया था. लेकिन वर्षा शुरु होते ही कार्य रुक गया. आश्वासन दिया गया था कि वर्षा रुकते ही कार्य पूरा कराया जाएगा. लेकिन कोई प्रगति होती न देख मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में कर दी गई. जिसके कारण सरपंच, सचिव और सहायक सचिव द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव व धमकी दे जी रही है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99